SHRI C. M. STEPHEN: I entirely agree that when a Member comes to the House and says that, on personal basis, she has got to make a statement, she must be given the Floor. I have absolutely no quarrel with that. Heavens will not fall down if she makes a statement. I only wanted to say that this could be done in the proper procedure... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात भी सुनता हूं, बैठिये । यहां मछली-मार्केट न बनायें ।

SHRI C. M. STEPHEN: I also wanted to point this out. Previously there were such incidents. In the last Lok Sabha, Mr. Ramalingam, a Member of this House, was ill-treated outside and he wanted to make a statement. On the day he wanted to make the statement, permission was not given. He came, he rushed in, and he wanted to make a statement. But permission was not given. Then he sought permission, he made a request according to rules, and he was permitted. The statement was scrutinised by the Speaker and he was allowed to make the statement. He wanted to say something more than that, but he was not permitted to say. At that time, my friends who are now raising this noise were completely backing up and opposing the right of the Member to make that statement. (*Interruptions*) There was the same noise then from this House obstructing Mr. Ramalingam. We do not want to follow that procedure, that precedent, at all. We want to be generous, we want to be concerned about the Member, we want to be concerned that the Member is properly treated and we want this Parliament to hear the Member if she has something to say. But that must come in by the right of that Member and not by this *hullah-gullah* that is being created. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाऊ करूं तब बोलिये । आराम से बात हो सकती है, चिन्ता करने की कौन सी बात है .... आप को थोड़ी समझ क्यों नहीं आती है, क्यों ऐसा करते हैं ... मेरा निवेदन है कि आप सबने प्रेसिडेन्स को बताया है । प्रेसिडेन्स मेरे पास भी है कि किस तरह से रामलिंगम जी को करने दिया गया था । चव्हाण साहब ने भी बताया है कि अपर-हाउस में किस तरह से हुआ था । मेरा ख्याल है, मैं ऐसा करूंगा ... सारे हाउस से मैं दरख्वास्त करूंगा —यह लेडी-मेम्बर का केस है, स्पेशल केस है, इसलिये इस को प्रेसिडेन्स न बनाया जाये —I will allow her to make a statement. I have given her the statement. I have scrutinised it.

12.14 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) ALLEGED MAL-TREATMENT METED OUT TO SHRIMATI INDRA KUMARI M.P. AND OTHER SATYAGRAHIS BY POLICE AUTHORITIES IN ALIGARH ON 23-7-1980.

श्रीमती इन्द्राकुमारी (अलीगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मुझे आज माननीय संसद् सदस्यों को अवगत कराना है कि मेरे संग अलीगढ़ प्रशासन ने क्या दुर्व्यवहार किया । बागपत काण्ड के विरोध में मैं अपने महिला सत्याग्रही साथियों के साथ ता० 23-7-1980 को शान्तिपूर्वक जुलूस के साथ कलक्टरी कचहरी पहुंची । जिला अधिकारी श्री लाल बहादुर तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे सभी साथी गिरफ्तार किये जायेंगे । इसके बाद हमारे सब साथी पुलिस लाइन के मैदान में करीब सांय के 5 बजे से रात्रि के 12 बजे तक बिना किसी व्यवस्था के मुझे एवं मेरे साथियों को बेहद तंग व परेशान किया तथा भूखा-प्यासा पुलिस लाइन के मैदान मे रखा । तत्पश्चात करीब तीन घन्टे जेल के दरवाजे पर मैं एवं मेरी महिला कार्यकर्ता एवं पुरुष साथी कंकड़ों पर पड़े रहे । मैंने कारागार के

जेलर से सम्पर्क करना चाहा एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण से भी बहुत विनती की कि हमें परेशान मत करो, जल्दी जेल भेज दो। लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मैं व मेरे साथी जमीन पर कंकड़ो पर पड़े रहे। अन्त में प्रशासन ने मुझ से कहा कि जेल में जगह नहीं है। हम आपको बाहर भेजेंगे फिर हम सब सत्याग्रहियों को पैदल चलवा कर स्टेशन ले जाया गया, जहां हम दो घंटे चल कर पहुंचे। फिर वहां हमसे कहा गया कि अब फिर वापस पैदल जेल चलो, आप की व्यवस्था वहीं हो गई है। इस पर मैंने तथा मेरे साथियों ने कहा कि हम बहुत थक गये है, हमसे पैदल नहीं चला जायेगा। तब एस० पी० मिटी पाठक व जमील अहमद सी० ओ० 2 तथा थाना अध्यक्ष करीब 10 व काफ़ी तादाद में सिपाही सभी लोगों ने हमारे साथियो पर लाठी चलाई व हमारी बहनो के चोटें आई व कपड़े वगैरह फट गये। पुलिस फिर हम को उसी जगह छोड़ कर ली गई। मेरे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया गया। हमारी चूड़ियां भी टूट गई।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप लोग। ..(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): आप गृह मंत्री जी से पूछें कि इस पर क्या कार्यवाही की है.. (व्यवधान)... सदन को विश्वास में नहीं लिया गया।

MR. SPEAKER: I am asking for the factual position.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने भी इस पर प्रिविलेज मोशन दिया है

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है।

MR. SPEAKER: I have taken the necessary action. Mr. Pranab Mukherjee—Papers to be laid.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरे एडजोर्नमेन्ट मोशन का क्या हुआ है। मैंने भी एडजार्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है और आप को इत्तिला दे दी है It is not allowed.

...(व्यवधान)...

हरिकेश बाबू, यह आप क्या कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है।

Papers to be laid.

12.16 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEWS ON AND ANNUAL REPORTS OF THE CHEMICALS AND ALLIED PTODUCTS EXPORT PROMOTION COUNCIL, CALCUTTA FOR THE YEAR ENDED ON 31-3-1979 AND PLASTICS AND LINOLEUMS EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR 1978-79.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (SHRI Z. R. ANSARI): On behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, Calcutta, for the year ended 31st March, 1979 along with Audited Accounts.

(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by Government on the working of the Council, for the year ended 31st March 1979. [Placed in Library. *See* No. LT-1152/80].

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Plastics and Linoleums Export Promotion Council Bombay, for the year 1978-79 along with Audited Accounts.

(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by Government on the working of the Council, for the year 1978-79. [Placed in Library. *See* No. LT-1153/80].